

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:-ग्रामोत्थान शिविर/2026/ 41

प्रकरण सं.:- 20/2026

दिनांक:- 29.01.2026

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,136 के अनुसरण में ग्राम भाटियों की ढाणी व खीयाणी सारणों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 में खाता संख्या 17,6,1,25,23 व 39 में वर्णित खसरा नम्बरान के अनुसरण में नक्शा ट्रेस में वर्तमान में दर्ज तरमीम को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु प्रकरण दर्ज किया गया।

पक्षकारान की सहमति एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2026/109 दिनांक 23.01.2026 के सलंगन प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भाटियों की ढाणी व खीयाणी सारणों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 में खाता संख्या 17,6,1,25,23 व 39 में वर्णित खसरा नम्बरान के अनुसरण में नक्शा ट्रेस में वर्तमान में दर्ज तरमीम को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर नव प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट भू.अ./2026/109 दिनांक 23.01.2026 के सलंगन प्रस्तुत नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(सर्वेश्वर निम्बाक)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 29.01.2026

क्रमांक:-सम./2026/ 42.43

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्राथी ..... तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी